प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 1139/1989

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रायसाहब देशमुख,न्यायाधीश

अफ़ज़ल अजमी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

डॉ. शैलेश आहूजा, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री सुमेश बजाज, राज्य सरकार के अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णय

(आज दिनांक 18 अप्रैल 2006 को दिया गया)

यह अपील श्री के.एल. कोरी, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 212/1987 में दिनांक 29 नवम्बर 1989 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि अपीलकर्ता लाभांडीह में लड़कियों के मिडिल स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। लगभग 13 साल की अभियोत्री कक्षा-6 में पढ़ती थी। 9.8.1986 को दोपहर 2.45 बजे उसने थाना सिविल लाइंस, रायपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी .3 दर्ज कराई जिसमें कहा गया कि 8.8.1986 को लगभग 5.00 बजे शाम को अपीलकर्ता ने उसका स्कूल बैग अपने कमरे में छिपा दिया। जब उसने इसे मांगा, तो अपीलकर्ता ने उसे कमरे से लाने के लिए कहा। जैसे ही अभियोत्री कमरे में गई, अपीलकर्ता उसके पीछे कमरे में गया और उसके हाथ पकड़कर उसे दुलारना शुरू कर दिया और उसके गालों को चूम लिया। उसने विरोध किया लेकिन अपीलकर्ता ने उसे चुप रहने के लिए डांटा। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र करने के बाद, खुद भी निर्वस्त्र हो गया और दरवाजा बंद कर अभियोत्री को जमीन पर लेटा दिया यौन क्रिया की और वीर्य स्खलन किया। जब अपीलकर्ता ने अभियोत्री की योनि के अंदर अपना लिंग प्रवेश कराया, तो उसे तेज दर्द हुआ और वह चिल्लाई। अपीलकर्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया। यौन क्रिया पूरी करने के बाद, उसने

अपने रूमाल से अपना लिंग साफ किया। अभियोत्री ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता द्वारा जबरदस्ती संभोग के कारण उसके निजी अंगों में तेज दर्द हो रहा था। कृत्य पूरा होने के बाद, अपीलकर्ता ने उसे स्कूल बैग दिया और घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी। अभियोत्री घर लौटी और अपनी मां रूपौतिन बाई अभियोजन साक्षी 5 को घटना बताई। उन्होंने कहा कि डर के कारण उन्होंने घटना किसी और को नहीं बताई। रूपौतिन बाई अभियोजन साक्षी 5 ने रात में अपने पति देवनाथ अभियोजन साक्षी भी को घटना के बारे में बताया।

3. उसी दिन, यानि 9.8.1986 को डॉ. आशा मिश्रा (अभियोजन साक्षी 10) ने अभियोत्री की जांच की और पाया कि उसे शौच, परिपक्वता और चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ था। उसके द्वितीयक यौन लक्षण बहुत अच्छी तरह से विकसित थे। उसके शरीर पर कहीं भी कोई बाहरी चोट नहीं थी। उसके निजी अंगों की जांच करने पर किसी चोट का कोई सबूत नहीं मिला। उसकी योनि परीक्षा में किसी भी तरह के स्राव या रक्तस्राव का पता नहीं चला। लालिमा या सूजन का कोई निशान नहीं था। हाइमन बरकरार था। जघन बाल की मैटिंग नहीं हुई थी। उसकी योनि परीक्षा में जांच करने वाली उंगली पर कोई रक्तस्राव नहीं हुआ। यह राय दी गई कि चूंकि हाइमन बरकरार था और निजी अंगों पर आघात का कोई सबूत नहीं था और चूंकि अभियोत्री पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, इसलिए हाल ही में हुए संभोग के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ता की 9.8.1986 को डॉ. पी.एल. यदु, (अभियोजन साक्षी 1) द्वारा जाँच की गई। उनका मत था कि वह यौन संबंध बनाने में सक्षम है। उसके शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं थी। पेट के निचले हिस्से, जांघों और गुप्तांगों पर बालों का कोई जमना नहीं देखा गया। अभियोत्री से 9.8.1986 को प्रदर्श पी.4 के तहत एक नायलॉन अंडरवियर जब्त किया गया। अपीलकर्ता से 9.8.1986 को प्रदर्श पी.6 के तहत एक फुल पैंट, एक सफेद टेरीकॉट शर्ट और एक पॉलिएस्टर रूमाल और एक अंडरवियर जब्त किया गया। प्रदर्श पी 12 के तहत अभियोत्री और अपीलकर्ता की योनि स्लाइड, अंडरवियर और रूमाल को रासायनिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, जिसने रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 के तहत सभी वस्तुओं पर रक्त और मानव शुक्राणुओं और वीर्य के दागों की उपस्थिति की पुष्टि की। हालांकि, विघटित होने के कारण दागों की सीरोलॉजिकल जांच नहीं की जा सकी। 9.8.1986 को स्कूल की प्रधानाध्यापिका उर्मिला जे. लाल अभियोजन साक्षी 11 के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। जाँच पूरी होने के बाद , अपीलकर्ता पर भा.द.स. की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया गया।

5. अपीलकर्ता ने अपना दोष अस्वीकार किया है और स्कूल के एक अन्य शिक्षक विश्वनाथ अभियोजन साक्षी.7 से दुश्मनी के कारण झूठे आरोप लगाने का दावा किया। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता डॉ. शैलेश आहूजा ने इस आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि का विरोध किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी। प्र.पी.3. राम जग एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आल इंडिया रिपोर्ट 1974 एससी 606) का अवलंब होते हुए तर्क दिया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हालांकि देरी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले की पृष्ठभूमि पर संदेह के लिए पर्याप्त है। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोत्री के गुप्तांगों या बाहरी किसी भी चोट के न होने से अभियोत्री की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं लगती। दिलीप एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आल इंडिया रिपोर्ट 2001 एससी 3049) का अवलंब होते लिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता को शिक्षक विश्वनाथ (अभियोजन साक्षी 7) के उकसाने पर झुठा फसाय गया है। अंत में , यह तर्क दिया गया कि दूसरे दिन अभियोत्री का स्कूल में सामान्य रूप से जाना और प्रथम सूचना अभिलेख प्रदर्श पी.3 दर्ज होने के समय विश्वनाथ (अभियोजन साक्षी 7) की उपस्थिति से स्पष्ट रूप से पता चला है। कि अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया था। यह तर्क दिया गया कि "संभावनाओं के कारक" अपीलकर्ता की निर्दोषता की ओर इशारा करता है। जहां तक न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श पी.13 की रिपोर्ट का संबंध है, यह तर्क दिया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियोत्री की योनि स्लाइड डॉ . आशा मिश्रा (अभियोजन साक्षी 10) द्वारा तैयार की गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलकर्ता और अभियोक्ता के अंडरवियर और रूमाल पर पाए गए दागों की सीरोलॉजिकल जांच नहीं की गई थी, इसलिए उनकी उत्पत्ति साबित नहीं हो सकी। रहीम बेग और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आल इंडिया रिपोर्ट 1973 एस सी 243) का अवलंब लिया गया जिसे में यह तर्क दिया गया कि अभियोत्री द्वारा आरोपित लंबे और बलपूर्वक संभोग के आधार पर, अपीलकर्ता के पुरुष अंग पर किसी भी प्रकार की चोट का न होना और अभियोत्री का कुंवारी होना, अपीलकर्ता की निर्दोषता की ओर इशारा करता है। इसलिए, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सुमेश बजाज ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क देते हुए भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई बनाम गुजरात राज्य (आल इंडिया रिपोर्ट 1983 एससी 753) पर भारी निर्भरता जताई और तर्क दिया कि विश्वनाथ साहू (अभियोजन साक्षी 7) के कहने पर झूठे आरोप लगाने का बचाव पूरी तरह से खारिज

करने योग्य है क्योंकि एक परंपराबद्ध समाज में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, एक नाबालिग लड़की के माता-पिता किसी अन्य शिक्षक के कहने पर न केवल अपनी बेटी को बल्कि परिवार को भी बदनाम नहीं करेंगे। यह भी तर्क दिया गया कि भले ही यह स्थापित नहीं हुआ कि अभियोत्री के अंतर्वस्त्र पर पाए गए मानव शुक्राणु अभियुक्त के थे, फिर भी पीड़िता की मां का बयान

अभियोत्री द्वारा यह दावा कि घर पहुँचते ही अभियोक्ता ने उसे पूरी घटना तुरंत बता दी थी, भी साक्ष्य का एक पुष्ट उदाहरण था और इस आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि सिद्ध हुई। मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (आल इंडिया रिपोर्ट 1998 एससी 386) पर भी भरोसा किया। मध्य प्रदेश राज्य बनाम धारकोले उर्फ गोविंद सिंह एवं अन्य (2005 GRI.L.J.108) का अवलंब लेते हुए यह आग्रह किया गया कि यद्यपि चिकित्सीय साक्ष्य किसी भी तरह से अभियोत्री की गवाही की पुष्टि नहीं करता , फिर भी इसे अभियोक्ता के प्रत्यक्ष साक्ष्य पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए और उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है।

8. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अध्ययन किया है। मैंने उद्धृत न्याय निर्णयों का भी बारीकी से अध्ययन किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज प्रथम सूचना अभिलेख प्रदर्श पी 1 के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि यह एक 13 वर्षीय कुंवारी लड़की द्वारा सुनाई गई है जो शर्मीली है यानी अजनबियों की उपस्थिति में असहज है। यही तस्वीर उसकी गवाही में चित्रित की गई है क्योंकि उसने बलात्कार का एक अतिरंजित संस्करण बयान किया था जो प्रथम सूचना अभिलेख में जगह नहीं पाया। अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्षी 4 ने बयान दिया कि अपीलकर्ता ने उसका स्कूल बैग छीन लिया था और उसे कहीं छिपा दिया था। मांगने पर, अपीलकर्ता ने उसे स्कूल के कमरे से बैग लाने के लिए कहा। जैसे ही वह स्कूल के कमरे में गई, अपीलकर्ता उसके पीछे कमरे के अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उसके हाथ से बैग छीन लिया उसे ज़मीन पर लिटाकर, अपीलकर्ता उसके ऊपर चढ़ गया और उसके दोनों पैर उठाकर अपने कंधों पर रख लिए। उसने उसके साथ यौन संबंध बनाए और उसके स्तन भी दबाए। यौन संबंध के दौरान, जब उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो अपीलकर्ता ने अपने रूमाल से उसका मुँह बंद कर दिया। उसके साथ बलात्कार करने के बाद, अपीलकर्ता ने अपने कपड़े पहने, लेकिन वह अपने कपड़े नही पबन पाई और दो घंटे तक बेहोश पड़ी रही। घंटों तक अपीलकर्ता वहीं रही। होश में आने के बाद उसने अपने कपड़े पहने और स्कूल बैग लेकर घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसने अपने अंडरवियर पर लगे खून के धब्बे नहर में धोए। घर पहुंचकर उसने अपनी मां रूपौतिन अभियोजन साक्षी 5 को घटना बताई, जिन्होंने अपने पिता देवनाथ अभियोजन साक्षी 8 को इसकी सूचना दी। अगले दिन, किसी भी चीज से न डरते हुए, वह सामान्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनचर्या के अनुसार स्कूल गई और कक्षा में भाग ले रही थी। उसके पिता शिक्षक विश्वनाथ (अभियोजन साक्षी 7) के साथ स्कूल आए, जिन्होंने उसे पुलिस स्टेशन उनके साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद, उसने पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना अभिलेख प्रदर्श पी.3 दर्ज कराई। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम सूचना अभिलेख में उसने यह नहीं बताया कि प्रतिवादी ने कमरे में प्रवेश करते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। उसने प्रथम सूचना अभिलेख में यह भी नहीं बताया कि अपीलकर्ता ने उसके दोनों पैर उठाकर अपने कंधों पर रख लिए थे और उसके बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि उसके स्तनों को दबाया गया था या अपीलकर्ता के रूमाल से उसका मुँह बंद किया गया था। बलात्कार की अवधि और यह तथ्य कि वह नग्न अवस्था में दो घंटे तक बेहोश रही, भी प्रथम सूचना अभिलेख में शामिल नहीं किया गया।

9. यह स्थापित कानून है कि अभियोजन पक्ष की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, यदि यह विश्वास जगाती है और विश्वसनीय है। भरवाड़ा भोगिनभाई हिरजीभाई (पूवोक्ता) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि पीड़ित के साक्ष्य में कोई बुनियादी दुर्बलता नहीं है, और "संभावनाओं के कारक" इसे विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं बनाते है, तो सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य (मेरे द्वारा इटैलिक्स में लिखने के लिए निर्देशित) को छोड़कर, पुष्टि पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, जहां मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य की उम्मीद की जा सकती है। ऊपर उद्धृत मामले में, अभियोजन पक्ष की चिकित्सा जांच से पता चला था कि यह दिखाने के लिए सबूत थे कि अभियोत्री पर कुछ दिन पहले बलात्कार का आरोप लगाया गया था। यह धारा 376 सहपठित धारा 511 भारतीय दंड संहिता के तहत एक मामला था। इस मामले में, तथ्य और परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। अभियोजन पक्ष ने प्राथमिक. प्रदर्श पी.1 और अपनी गवाही में अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ हिंसक बलात्कार के तरीके का वर्णन किया है। पैराग्राफ 10 में, अभियोजन पक्ष ने कहा कि उसकी चूड़ियाँ टूट गई थीं क्योंकि अपीलकर्ता ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया था। उसने आगे गवाही दी कि नग्न करने और जमीन पर लेटाए जाने के बाद यौन हमले के कारण उसके सिर, हाथ और पीठ के पिछले हिस्से में चोट आई थी। उसके पूरे शरीर पर खरोंचें थीं और खून बह रहा था। उसके अनुसार, अपीलकर्ता ने लगभग आधे घंटे से एक घंटे तक यौन क्रिया की, जिसके कारण उसकी योनि से खून बह गया और फर्श पर दाग लग गया। उसने यौन क्रिया के दौरान अपने पैरों को हिलाकर प्रतिरोध किया, इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष की गवाही की पुष्टि के लिए चिकित्सीय साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं और उसके निजी अंगों से खून बह रहा था जिससे उसका शरीर और उसके पहने हुए कपड़े भी दागदार हो गए थे। गवाही का यह हिस्सा न केवल चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्ट नहीं होता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है, बल्कि इससे झूठा साबित होता है। उसके निजी अंगों पर खून के धब्बे की मौजूदगी की पुष्टि नहीं होती है। डॉ. श्रीमती आशा मिश्रा (अ.सा.10) की रिपोर्ट पर पैराग्राफ 2 (पूर्वोक्त) में विस्तार से चर्चा की गई है, जिससे स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष की उपरोक्त गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में , दिलीप एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (आल इंडिया रिपोर्ट 2001 एससी 3049) का अवलंब लिया गया।

10. सब-इंस्पेक्टर अनूप चंद राठौर (अभियोजन साक्षी 13) की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष, प्रथम सूचना अभिलेख दर्ज करते समय अभियोजन साक्षी 3 ने यह उल्लेख नहीं किया कि उसके शरीर पर कहीं भी कोई चोट लगी थी। उन्होंने पैराग्राफ 24 में यह भी कहा है कि मौके का निरीक्षण करने पर उन्हें उस कमरे के फर्श पर खून के कोई धब्बे नहीं मिले जहाँ बलात्कार होने का आरोप लगाया गया था। अभियोक्ता की गवाही कि उसने लगभग 5 बजे शाम को अपना स्कूल बैग मांगा और उसके बाद कमरे के अंदर अपीलकर्ता ने लगभग आधे घंटे से एक घंटे तक उसके साथ बलात्कार किया और वह दो घंटे तक बेहोश रही, पूरी तरह से अविश्वसनीय है क्योंकि रूपौतिन (अभियोजन साक्षी 5) ने पैराग्राफ 1 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियोक्ता लगभग 5 बजे शाम को घर लौट आई थी। जिरह पैराग्राफ 3 में, उसने यह कहकर अपना बयान बदल दिया कि अभियोक्ता लगभग 6 बजे शाम को घर लौट आई थी। जैसा भी हो, बलात्कार की अवधि और जिस अवधि के दौरान वह बेहोश रही और साथ ही उसे लगी चोटों से संबंधित अभियोजन पक्ष की गवाही की चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पुष्टि न होने से यह अविश्वसनीय हो जाता है। उसकी यह गवाही कि उसकी चूड़ियाँ टूट गई थीं , भी विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान उप-निरीक्षक अनूप चंद राठौर को ऐसी कोई चूड़ियाँ न तो मिलीं और न ही उन्हें जब्त किया गया। "संभावनाओं के कारको" पर विचार करते हुए, यदि अभियोजन पक्ष के साथ अपीलकर्ता ने बलात्कार किया होता और उसे उसके द्वारा बताए गए तरीके से चोटें आई होतीं और अभियोजन पक्ष द्वारा उसके माता-पिता को उसी दिन सूचित किया गया होता, तो यह भी पूरी तरह से अस्वाभाविक होता कि अभियोत्री अगले ही दिन सामान्य दिनचर्या के रूप में स्कूल गई होती, मानो उसके साथ बलात्कार की कोई घटना हुई ही न हो।

11. लाभंडीह के सरपंच सुखचंद भारती, (अभियोजन साक्षी 3), ने बताया है कि घटना के अगले दिन उन्हें स्कूल बुलाया गया था और पिरदा गाँव के 4-5 लोग और अपीलकर्ता वहाँ मौजूद थे। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि अपीलकर्ता पीड़िता के गालों पर चाक लगाता था और उसे छूता भी था। यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को स्कूल में हिरासत में लिया था। इस पर, ग्रामीणों ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी गवाही में , ऐसा नहीं लगता है कि

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

घटना के अगले दिन और एफआईआर दर्ज करने से पहले अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार का कोई आरोप लगाया गया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि साहू मास्टर भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। विश्वनाथ साहू (अभियोजन साक्षी 7) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगले दिन यानी 9.8.86 को पिरदा के ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापिका से अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्ता पर बलात्कार करने की शिकायत की थी। हालांकि , श्रीमती उर्मिला जे लाल (अभियोजन साक्षी 11) ने अपनी पूरी गवाही में एक शब्द भी नहीं कहा है जिससे पता चले कि पिरदा के ग्रामीणों ने उनसे ऐसी कोई शिकायत की थी। दूसरी ओर , उन्होंने अपनी गवाही के पैराग्राफ 5 में स्पष्ट रूप से कहा है इससे "संभावनाओं के कारको" को ध्यान में रखने पर अभियोत्री की गवाही भी विश्वसनीय नहीं रह जाती।

12. अभियोत्री ने गवाही दी है कि उसने घटना की जानकारी अपने पिता को नहीं , बल्कि अपनी माँ को दी थी। रूपौतिन अभियोत्री 5 ने यह भी कहा कि उसने घटना की जानकारी अपने पति देवनाथ अभियोत्री 8 को दी थी। हालाँकि, अभियोक्ता द्वारा विशेष रूप से पूछे जाने पर, देवनाथ अभियोत्री 8 ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोत्री ने घटना की प्रत्यक्ष जानकारी उसे दी थी। उसके बाद, उसकी पत्नी ने उसे घटना की जानकारी दी। इस संबंध में अभियोत्री 8 देवनाथ ने जो गवाही दी, उसे यहाँ प्रस्तुत करना उचित होगा:

"मैं खेत से लगभग रात आठ बजे लौटा। मेरी बेटी हेमलता ने मुझे बताया कि स्कूल में टीचर ने उसे छेड़ा था, जिसके बाद मैंने यह बात नामदास, परौदास और श्यामरतन को बताई। दूसरे दिन लगभग सात बजे सुबह मैं श्यामरतन, परौदास और नामदास के साथ लाभांडीह स्कूल पहुंचा और आरोपी को समझाया तो आरोपी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतनी गंदी बातें क्यों कर रहे हो। उस समय हेमलता भी हमारे साथ थी। लड़की को स्कूल से लेकर हम करीब 10 बजे तेलीबांधा चौकी पहुंचे, वहां से हमें सिविल लाइंस थाने ले जाया गया। हम दोपहर 1 बजे सिविल लाइंस थाने पहुंचे और मैंने वहां रिपोर्ट दर्ज कराई (इटैलिक्स मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं)। जब गवाह से विशेष रूप से पूछा गया कि लड़की को कैसे छेड़ा गया , तो उसने बताया कि शिक्षक ने उसका हाथ पकड़ा था। जब गवाह से पूछा गया कि क्या लड़की की मां या आपकी पत्नी ने आपको घटना के बारे में बताया था, तो उसने कहा कि सबसे पहले लड़की ने मुझे घटना के बारे में बताया और उसके बाद उसकी मां ने मुझे बताया कि लड़की ने उसे बताया था कि आरोपी ने उसे नग्न करने के बाद बुरा काम किया है।

13. यह ध्यान देने योग्य है कि अपनी गवाही में देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) ने यह नहीं बताया कि उसकी बेटी हेमलता ने उसे बताया था कि शिक्षक ने उसके साथ बुरा काम किया था। नामदास, परौदास और श्यामरतन, जिन्हें देवनाथ ने तुरंत घटना की सूचना दी थी और जिनके बारे में आरोप है कि वे अगले दिन देवनाथ के साथ स्कूल गए थे, से अभियोजन पक्ष ने पूछताछ नहीं की। जैसा कि पहले कहा गया है , जिस तरह से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उससे यह पता नहीं चलता कि यह एक शर्मीली 13 वर्षीय नाबालिग कुंवारी लड़की ने मौखिक रूप से दर्ज कराई थी के मुंह से आई थी। देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) द्वारा पैराग्राफ 4 में स्वीकारोक्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि उसने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी .3 उसके कथन पर लिखी गई थी और अभियोजन पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी।

14. अभियोत्री ने अनुच्छेद 18 में स्वीकार किया था कि विश्वनाथ साहू उसका पड़ोसी है और वे आते-जाते थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रथमिकी दर्ज कराते समय यह नहीं बताया था कि अनुच्छेद 8 (उपरोक्त) में किस प्रकार अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि विश्वनाथ साहू अगले दिन उसके पिता के साथ स्कूल गया था और उसे भी अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा था। अभियोक्ता की मां रूपौतिन (अभियोजन साक्षी 5) ने अनुच्छेद 5 में कहा है कि देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) ने अभियोक्ता को स्कूल जाने के लिए कहा था और उससे कहा था कि वह स्कूल आएगा और उसे वहां से पुलिस स्टेशन ले जाएगा। उसने स्वीकार किया कि उसका पति देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) और शिक्षक विश्वनाथ (अभियोजन साक्षी 7) प्रथम सूचना अभिलेख. दर्ज कराने के लिए गांव से एक साथ गए थे। इससे स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि अभियोक्ता अगले दिन सामान्य रूप से स्कूल गई थी। विश्वनाथ साहू (अभियोजन साक्षी7,) देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) के साथ स्कूल गए और अभियोत्री से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा। हालाँकि , देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) ने यह कहकर इस तथ्य को दबा दिया कि विश्वनाथ उनके साथ गाँव से स्कूल नहीं गया था, बल्कि अगली सुबह स्कूल में उनसे मिला था और उस समय उसने विश्वनाथ को घटना के बारे में बताया था। परिच्छेद 6 में उन्होंने यह भी कहा है कि अभियोत्री उनके साथ गाँव से स्कूल आई थी। यह समझ से परे है कि अगर अभियोक्ता गाँव से देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) उनके साथ आई थी, तो वह स्कूल क्यों गए थे, क्योंकि वह सीधे पुलिस स्टेशन गए होते। उन्होंने इस बात को दबा दिया है कि विश्वनाथ साहू उनके साथ पुलिस स्टेशन गए थे। विश्वनाथ साहू (अभियोजन साक्षी 7) ने भी अनुच्छेद 10 में इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया है। इस प्रकार, एक ओर अभियोक्ता (अभियोजन साक्षी 4) और रूपौतीन अभियोजन साक्षी 5 की गवाही और दूसरी ओर देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) और विश्वनाथ साहू (अभियोजन साक्षी 7) की गवाही में गंभीर विरोधाभास है, जो मनगढ़ंत लगता है। फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर बलात्कार हुआ होता, तो उसके अनुसार अभियोत्री पर 8.8.1986 को उसके द्वारा आरोपित अपराध किया गया था और उसके पूरे शरीर पर चोटें आई थीं और उसके गुप्तांगों से रक्तस्राव भी हुआ था, तो वह अगले दिन सामान्य दिनचर्या के अनुसार स्कूल नहीं गई होगी। यह तथ्य कि वह अगले दिन सामान्य दिनचर्या के अनुसार स्कूल गई थी और यह तथ्य कि देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8), शिक्षक विश्वनाथ साहू (अभियोजन

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साक्षी 7) के साथ गांव से चलकर स्कूल गए थे, जहां विश्वनाथ ने अभियोक्ता को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा, जहां देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) ने प्रथम सूचना अभिलेख प्रदर्श.पी.3 सुनाई, सच्चाई को उजागर करता है और इस संभावना को खारिज नहीं करता है कि विश्वनाथ (अभियोजन साक्षी 7) के इशारे पर देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) द्वारा प्रथम सूचना अभिलेख प्रदर्श.पी.3 मनगढ़ंत रूप से लिखि गई थी। पुनः दोहराना चाहूंगा कि यह बात चिकित्साकीय साक्ष्य से भी पुष्ट होती है , जो अभियोजन पक्ष की न केवल बलात्कार के बारे में , बल्कि यौन संबंध के दौरान उसे कथित रूप से लगी चोटों के बारे में भी गवाही का पूरी तरह खंडन करती है।

15. यह सच है कि आमतौर पर कोई भी माता-पिता किसी दूसरे शिक्षक के कहने पर अपनी नाबालिग बेटी को शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे , लेकिन मानव स्वभाव बहुत ही विचित्र और जटिल होता है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें एक बेटी ने सौतेले पिता के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार के लिए सौतेले पिता की दोषसिद्धि को बरकरार रखने के बाद उसने एक हलफनामा प्रस्तुत किया कि उसने अपनी माँ के कहने पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसलिए, यह एक सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता कि अभियोत्री ने जो भी बयान दिया है उसे सत्य मान लिया जाए क्योंकि उसके माता-पिता किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएँगे जो अपीलकर्ता से बदला लेना चाहता हो। इसलिए, बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि दर्ज करने की कसौटी यह है कि अभियोक्ता की गवाही विश्वसनीय और विश्वास पैदा करने वाली होनी चाहिए और इसमें कोई बुनियादी कमी नहीं होनी चाहिए और

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"संभावनों के कारको द्वारा भी इसे विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं ठहराना चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है, अपेक्षित चिकित्सा साक्ष्य अभियोक्ता की गवाही का पूरी तरह से खंड करता है। सुखचंद भारती (अभियोजन साक्षी 3) और प्रधानाध्यापिका श्रीमती उर्मिला जे. लाल (अभियोजन साक्षी 11) की गवाही भी अभियोक्ता की समग्र गवाही का खंडन करती है। ऊपर उद्धृत देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) की गवाही भी अभियोक्ता पर संदेह के पैदा करती है कि क्या अपीलकर्ता ने अभियोत्री पर बलात्कार किया था। ये मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में "संभावनाओं के कारकों" को मजबूत करते हैं और अपीलकर्ता की निर्दोषता की ओर इशारा करते हैं।

16. जहां तक न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श पी.13 की रिपोर्ट का संबंध है, यह अभियोजन पक्ष के लिए कोई लाभ नहीं पहुंचाती है क्योंकि डॉ . श्रीमती आशा मिश्रा (अभियोजन साक्षी 10) ने यह गवाही नहीं दी कि उन्होंने अभियत्री की जांच के बाद योनि स्लाइड तैयार की थी। न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट विश्वास पैदा नहीं करती है क्योंकि यहां तक कि जिस रूमाल से अपीलकर्ता ने बलात्कार के दौरान अभियोत्री के

चिल्लाने पर उसका मुंह बंद करने का आरोप लगाया है, उस पर भी वीर्य, मानव शुक्राणु और मानव रक्त के धब्बे होने की राय दी गई थी जो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। अभियोत्री ने यह गवाही नहीं दी कि यौन क्रिया के बाद अपीलकर्ता ने अपने पुरुष अंग को अपने रूमाल से साफ किया था। यह अत्यधिक असंभव है कि अपीलकर्ता घटना के दो दिन बाद अपनी जेब में ऐसा रूमाल रख रहा होगा। यह तथ्य भी अविश्वसनीय है कि अभियोक्ता और रूपौतिन अभियोत्री 5 ने कहा है कि अभियोक्ता ने रास्ते में नहर में अपने अंडरवियर धोए थे। कांस्टेबल विष्णु प्रसाद वर्मा अभियोक्ता 2 की गवाही भी यह नहीं दर्शाती है कि योनि स्लाइड अभियोक्ता की थीं। इस प्रकार , रिपोर्ट प्र.पृष्ठ 13 के अनुसार, योनि स्लाइड पर रक्त, शुक्राणु और वीर्य की उपस्थिति अभियोजन पक्ष के लिए कोई मायने नहीं रखती। यह तथ्य कि स्लाइड पर अंडरवियर और रूमाल के दाग विघटित हो गए थे और सीरोलॉजिकल जांच के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए थे, इससे यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष रक्त और वीर्य के दागों की उत्पत्ति स्थापित करने में विफल रहा है।

17. उपनिरीक्षक अनूप चंद राठौर (अभियोजन साक्षी 13) ने जिरह के पैराग्राफ 8 में स्वीकार किया है कि उसी स्कूल में पढ़ने वाली रेवती बाई ने भी 9.8.1986 को शाम लगभग 7 बजे अपीलकर्ता द्वारा अभद्र व्यवहार की ऐसी ही एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विश्वनाथ साहू (अभियोजन साक्षी 7) ने स्वीकार किया है कि रेवती बाई उसके चचेरे भाई की बेटी है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से 9.8.1986 को पुलिस स्टेशन में विश्वनाथ साहू (अभियोजन साक्षी 7) की उपस्थिति की पुष्टि होती है , हालांकि इसे दबाने का प्रयास किया गया है। ऐसा कैसे है कि 9.8.1986 को दो लड़कियों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई जाती हैं, जिनमें से एक विश्वनाथ साहू की रिश्तेदार है और दूसरी एक बहुत करीबी पड़ोसी की बेटी है, जिसके साथ उसका आना-जाना है? ऐसा कैसे हुआ कि रेवती बाई के साथ दिनांक 7.8.1986 को घटित घटना की रिपोर्ट भी इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद दिनांक 9.8.1986 को काफी देरी से दर्ज कराई गई?

18. जहाँ तक प्रधानाध्यापिका श्रीमती उर्मिला जे. लाल से प्रेम पत्र की जब्ती का प्रश्न है, यह ध्यान देने योग्य है कि विश्वनाथ साहू, (अभियोजन साक्षी 7), इस जब्ती ज्ञापन का एक और गवाह है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि यह पत्र अपीलकर्ता द्वारा लिखा गया था। जिस लड़की को यह पत्र अपीलकर्ता द्वारा लिखा गया है, उसका न तो अभियोजन पक्ष द्वारा उल्लेख किया गया है और न ही उससे पूछताछ की गई है। इस प्रकार, इस मामले में विश्वनाथ साहू की अति-सहभागिता इस "संभावनओं के कारको" को और पुष्ट करती है कि अपीलकर्ता को झूठे आरोप में फँसाया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. अभियोत्री ने अपनी गवाही के पैराग्राफ 8 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। कक्षा आठ के कक्षा कक्ष में उसके साथ यौन संबंध बनाए गए। हालाँकि, दीपक लाल साहू, (अभियोक्ता संख्या 12) द्वारा तैयार किया गया घटनास्थल मानचित्र प्र.पी.11, उसकी गवाही को स्पष्ट रूप से झुठलाता है क्योंकि उसमें यह दर्शाया गया है कि यौन संबंध कक्षा आठ के कक्षा कक्ष में नहीं , बल्कि विद्यालय के कार्यालय कक्ष में बनाए गए थे। इससे अभियोक्ता की गवाही पर भी गंभीर आघात पहुँचता है।

20. यदि कुंवारी अभियोत्री की अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ किए गए हिंसक तरीके और अवधि के बारे में गवाही को स्वीकार कर लिया जाए , तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ता के पुरुष अंग पर निश्चित रूप से कोई चोट लगी होगी। डॉ. पी.एल. यदु, (अभियोजन साक्षी 1), जिन्होंने 9.8.1986 को अपीलकर्ता की जाँच की थी, ने यह नहीं बताया कि अपीलकर्ता के पुरुष अंग पर कोई चोट थी। इससे अभियोत्री की गवाही भी कमज़ोर हो जाती है।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने के बाद , निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) अभियोजन पक्ष की यह गवाही कि उसे नग्न करने के बाद अपीलकर्ता ने उसके साथ आधे घंटे से एक घंटे तक बलात्कार किया और इस प्रक्रिया में उसके गुप्तांगों से खून बहने लगा और उसके पूरे शरीर पर चोटें आईं तथा उसकी चूड़ियां टूट गईं और फर्श पर खून के धब्बे थे, चिकित्सीय साक्ष्य और उपनिरीक्षक अनूप चंद राठौर (अभियोजन साक्षी 13) की गवाही के मद्देनजर पूरी तरह से अविश्वसनीय है।

ख) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श.पी.13 की रिपोर्ट रक्त या वीर्य के दागों की उत्पत्ति को स्थापित नहीं करती है।

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में , अभियोजन पक्ष द्वारा अगले दिन स्कूल जाना एक स्वाभाविक दिनचर्या थी, तथा इस तथ्य के साथ कि देवनाथ अभियोजन साक्षी विश्वनाथ साहू के साथ स्कूल गया था, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विश्वनाथ (अभियोजन साक्षी 7) के इशारे पर प्रथम सूचना अभिलेख गढ़ी गई थी।

घ) 13 वर्ष की कुंवारी अभियोत्री पर किसी भी प्रकार की बाह्य या आंतरिक चोट के न होने के बारे में चिकित्सीय राय, तथा यह तथ्य

कि योनिच्छद बरकरार था और अपीलकर्ता के लिंग पर किसी भी प्रकार की चोट का न होना, अपीलकर्ता द्वारा बताई गई आधे घंटे से एक घंटे तक बलात्कार की कहानी को स्पष्ट रूप से नकारता है।

ई) सुखचंद भारती (अभियोजन साक्षी 3) की गवाही, अभियोक्ता और रूपौतिन (अभियोजन साक्षी 5) की गवाही के साथ मिलकर विश्वनाथ साहू अभियोजन साक्षी 7 और देवनाथ पी.डब्लू.बी. के इशारे पर मनगढ़ंत कहानी का संकेत देती है। विश्वनाथ साहू ने जानबूझकर इस तथ्य को दबा दिया है कि वह अगले दिन देवनाथ के साथ स्कूल गया था। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभियोक्ता 9.8.1986 को सामान्य रूप से स्कूल गई थी। इस बीच, विश्वनाथ के कहने पर, देवनाथ अभियोजन साक्षी.8 अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सहमत हो गया और उसके बाद दोनों अभियोक्ता को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए स्कूल गए। पुलिस स्टेशन में देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) ने रिपोर्ट सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

च) उपनिरीक्षक अनूप चंद राठौर (अभियोजन साक्षी 13) की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें न तो उस तरीके और अवधि के बारे में बताया था जिसके लिए उसने अपनी गवाही में अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था और न ही उसे लगी चोटों के बारे में बताया था।

छ) अभियोजन पक्ष की उस स्थान के बारे में गवाही, जहां प्रतिवादी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था , दीपक लाल साहू (अभियोजन साक्षी 12) जिसने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया था, की गवाही से विरोधाभासी और झूठा साबित होती है।

(ज) अभियोक्ता की गवाही भी संदिग्ध हो जाती है क्योंकि स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती उर्मिला जे. लाल (अभियोजन साक्षी 11) ने इसका खंडन किया है।

i) अपीलकर्ता के पुरुष अंग पर किसी भी प्रकार की चोट का न होना भी अपीलकर्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के साथ आधे घंटे से एक घंटे तक की अवधि के लिए किए गए हिंसक बलात्कार की कहानी को विश्वसनीय नहीं बनाता है।

जे) देवनाथ (अभियोजन साक्षी 8) की गवाही कि स्कूल से लौटने पर अभियोक्ता ने उसे यह नहीं बताया था कि अपीलकर्ता ने उसके साथ बुरा काम किया था, बल्कि केवल यह बताया था कि शिक्षक ने उसके हाथ पकड़कर उसे छेड़ा था, अपीलकर्ता द्वारा रस्सी से बांधने की कहानी को भी अविश्वसनीय बना देता है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से उभरे उपरोक्त तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत दी गई सजा अपास्त की जाती है। अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत बन्ध -पत्र तत्काल निरस्त माने जाएँगे।

सेह/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. ISHAN SHARMA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur